DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer

NAME OF NEWSPAPERS- NEW DELHI I THURSDAY I OCTOBER 3, 2024

DDA conducts cleanliness drive

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

In its commitment towards Clean Delhi, the Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday conducted cleanliness drive in Siraspur Housing Pocket on the occasion of Swachh Bharat Diwas, celebrating birthday of Mahatma Gandhi.

Siraspur is one of the prominent locations where DDA has offered flats under the recently launched housing scheme.

Under the Sasta Ghar Scheme, DDA is offering LIG flats in Siraspur starting from Rs 15 lakh after giving 15 percent discount. The flats are equipped with many facilities and ample surface parking.

The area is close to G T Karnal Road and Sameypur Badli metro station. It is conveniently located with many

schools, hospitals and amusement park close to its vicinity. The cleanliness drive was led by Ashok Kumar Gupta, Engineer Member, DDA, and Chittaranjan Dash, Principal Commissioner, DDA along with DDA officers and staff and general public.

The DDA is developing greens around the housing pockets to improve quality of life for the buyers. Besides, additional final touches are being given to housing blocks to add value. Furthermore, DDA is also in touch with local bodies to ensure cleanliness of the area.

The DDA launched its three housing schemes in August 2024-Sasta Ghar and Madhyam Vargiya Housing Schemes and Dwarka Housing Scheme for various locations like Dwarka, Jasola, Narela, Rohini, Loknayakpuram, Ramgarh and Siraspur for various categories of flats.

While buyers can book flats for the first two schemes on First Come First Serve (FCFS) basis, flats were sold through e-auction in Dwarka Housing Scheme.

The Dwarka Housing scheme has been closed while First Come First Serve is still in operation and buyers can book flats by login to DDA's website. All the flats are freehold property and ready to move in. For the convenience of buyers, sample flats are also available so that buyers can take informed decision. The schemes have received impressive response with buyers showing interest on all categories of flats at various locations.

Baansera on banks of Yamuna to soon yield globally acclaimed Lakadong turmeric: Raj Niwas

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The lush-green "Baansera" on the banks of the Yamuna in Delhi will soon be yielding the first crop of the globally acclaimed "Lakadong turmeric" from Meghalaya, Raj Niwas said here on Wednesday.

Giving details, officials said Delhi Development Authority (DDA), on the initiative of Lt Governor Vinai Kumar Saxena, has planted Lakadong turmeric under the thick bamboo groves over two acres of land at Baansera, that have shown excellent growth in the last four months. This much sought after variety of turmeric may soon be available to the people of Delhi through sale by DDA.

In a post on X, Lt Governor Vinai Kumar Saxena said, "Happy to share that the famed Lakadong Turmeric from Meghalaya's Jaintia Hills has made its way to Yamuna floodplain in Delhi at Baansera. The innovative step to introduce this finest quality turmeric in Delhi's climate has shown promising results with 80% survival rate".

In continuation of these efforts, Saxena had directed DDA to procure Lakadong turmeric seeds from Meghalaya and cultivate the same at Baansera under the bamboo groves that are considered conducive for the survival and growth of this turmeric.

Saxena said 30,000 bamboo will create a conducive environment for their growth. Planted in June this year, the first turmeric harvest is expected by Jan 2025".

"Cultivation of Lakadong Turmeric in Delhi comes after successful experiments of planting Chandan, Chinar, Cherry Blossom, Green Apple,

Water Apple & Grapes that have, besides adding diversity to Delhi's flora, broken the myth that such plants and trees can not be grown in Delhi," Saxena added.

Trial cultivation of Lakadong turmeric is in line with the LG's persistent innovative and inter-cultural approachaimed at adding diversity to Delhi's flora and comes after successful plantation of Chandan, Chinar, Cherry Blossom, water apple, green apple and grapes in different parts of the National Capital.

Lakadong turmeric is a rare and prized variety of turmeric that is native to the Jaintia Hills of Meghalaya. It is known for its high curcumin content, which gives it a bright yellow color and a distinct aroma and earthy flavor. Lakadong turmeric is considered to be one of the best varieties of turmeric worldwide.

Accordingly, the DDA procured five quintals of high-quality Lakadong turmeric seed -rhizomes (the underground stem of the turmeric plant) - from Meghalaya and planted them at Baansera in the month of June.

Since then, the crop has shown promising growth with the survival rate of over 80%. Horticulture experts are closely monitoring the growth of the turmeric plants. Baansera, which has over 30,000 bamboo plants, has created a symbiotic environment in which both turmeric and bamboo are thriving.

Based on the successful crop yield, DDA will also consider cultivation of Lakadong turmeric on a larger scale at different locations in Delhi.

Lakadong turmeric, renowned for its exceptional curcumin content of around 7.4%, is highly valued and most sought-after in the medicinal and wellness sectors. Additionally, its volatile oil content, ranging from 3.6% to 4.5%, increases its appeal across various industries.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS---- NEW DELHI | THURSDAY, 3 OCTOBER, 2024

DDA conducts cleanliness drive in Siraspur Housing Pocket to celebrate 'Swachh Bharat Diwas'

The event, held on October 2, marking the birth anniversary of Mahatma Gandhi to emphasise the importance of hygiene and sanitation in urban spaces

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: To promote cleanliness and celebrate 'Swachh Bharat Diwas', the Delhi Development Authority (DDA) organised a cleanliness drive in the Siraspur Housing Pocket.

The event, held on October 2, marked the birthday of Mahatma Gandhi to emphasise the importance of hygiene and sanitation in urban spaces.

The drive was spearheaded by Ashok Kumar Gupta, Engineer Member of the DDA, alongside Chittaranjan Dash, Principal Commissioner of Housing.

They were joined by DDA officials, staff members, and local residents, all contributing to the initiative aimed at enhancing the cleanliness of the area.

Siraspur has emerged as a key location under DDA's recently launched housing schemes, particularly the Sasta Ghar Scheme. Under this initiative, the DDA is offering affordable LIG (Lower Income Group) flats starting at a competitive price of Rs 15 lakh, inclusive of a 15 per cent discount.

These flats come with essential amenities, including ample surface parking, making them an attractive option for potential buyers.

Situated near G T Karnal Road and the Samaypur Badli metro station, Siraspur offers residents easy access to various facilities.

The vicinity boasts numerous schools, hospitals, and even an amusement park, ensuring a well-rounded lifestyle for families moving into the area.

Key Points

- The drive was spearheaded by Ashok Kumar Gupta, Engineer Member of the DDA, alongside Chittaranjan Dash, Principal Commissioner of Housing
- They were joined by DDA officials, staff members, and local residents, all contributing to the initiative aimed at enhancing the cleanliness of the area

In addition to the housing developments, DDA mentioned it is actively working on enhancing green spaces around the housing pocket.

These initiatives aim to improve the overall quality of life for residents, with final finishing touches being applied to the housing blocks to increase their appeal.

The DDA is also coordinating with local bodies to ensure ongoing cleanliness and maintenance of the neighbourhood.

The DDA launched three housing schemes in August 2024, including the 'Sasta Ghar' and 'Madhyam Vargiya' Housing Schemes, as well as the Dwarka Housing Scheme.

While the latter is currently closed, the first two schemes are available on a First Come First Serve (FCFS) basis.

Interested buyers can explore available options by visiting the DDA's official website at www.dda.gov.in.

Notably, all flats offered are freehold properties and ready for immediate occupation, with sample flats available for viewing to assist buyers in making decisions.

The response to these schemes has been overwhelming, with significant interest expressed across various categories of flats in multiple locations, noted officials.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com

NAME OF NEWSPAPERS---- नई दिल्ली | बृहस्पतिवार, 3 अक्तूबर 2024 DATED----------

बांसेरा में मेघालय की लकडोंग हल्दी उगेगी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली में यमुना के किनारे बांसेरा में चंदन, चिनार और चेरी ब्लॉसम के बाद मेघालय की लकडोंग हल्दी भी उगेगी। यह हल्दी विश्व प्रसिद्ध है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश के बाद इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बांसेरा में 2 एकड़ से अधिक की भूमि पर घने बांस के पेड़ों के बीच लगाया था। बीते चार महीनों में इसकी फसल तेजी से बढ़ी है। दिल्ली के लोगों को यह जल्द ही डीडीए से बिक्री के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है।

अधिकारियों ने बताया कि इस कोशिश से दिल्ली की वनस्पतियों में विविधता लाई जा सकेगी। यह दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में चंदन, चिनार, चेरी ब्लॉसम, वाटर एप्पल, ग्रीन एप्पल और अंगूर उगाने के सफल प्रयोग के बाद किया गया है। बांस का पेड़ इस हल्दी के विकास के लिए अनुकूल माना जाता है।

मेघालय की जैंतिया हिल्स में पाई जाने वाली यह हल्दी की एक दुर्लभ और बेशकीमती किस्म है। इस हल्दी की पहचान इसमें मौजूद उच्च करक्यूमिन से होती है। इससे हल्दी में चमकीला पीला रंग, एक खास सुगंध और स्वाद मिलता है। इसे दुनिया भर में हल्दी की सबसे अच्छी किस्मों में से एक माना जाता है। उपराज्यपाल के निर्देशानुसार, डीडीए ने मेघालय से उच्च गुणवत्ता वाली लकडोंग हल्दी के 5 क्विंटल बीज - राइजोम (हल्दी के पौधे का भूमिगत तना) खरीदे थे। जून में इन्हें बांसेरा में लगाया था। मौजूदा समय में 80 फीसदी से अधिक पौधे जिंदा हैं और बढ़ रहे हैं। बागवानी विशेषज्ञ हल्दी के पौधों की वृद्धि पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

बांसेरा में लगा पौधा। अमर उजाला

बांसेरा में 30 हजार से अधिक बांस के पौधे

बांसेरा में 30 हजार से अधिक बांस के पौधे हैं। इन पौधों ने हल्दी के लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनाया है, जिसमें हल्दी और बांस दोनों ही फल-फूल रहे हैं। इस हल्दी को उगाने में मिली सफलता के आधार पर ही अब डीडीए दिल्ली के विभिन्न पार्कों में इसकी खेती करने पर विचार करेगा। लकडोंग हल्दी में 7.4 फीसदी तक करक्यूमिन होता है। इसकी मांग औषधीय और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है। इसके अलावा इसमें 3.6 प्रतिशत से 4.8 प्रतिशत तक वाष्पशील तेल सामग्री होता है, जिसकी मांग विभिन्न उद्योगों में होती है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- नई दिल्ली। बृहस्पतिवार • 3 अक्टूबर • 2024 | राष्ट्रीय सहारा

विशेष प्रजाति की हल्दी यमुना किनारे उगा रहा डीडीए : उप-राज्यपाल

■ मेघालय की विश्व प्रसिद्ध हल्दी जल्द ही दिल्ली में होगी उपलब्ध : वीके सक्सेना

■ बांसेरा पार्क में इसका प्रयोग 80 फीसद तक रहा सफल

नई दिल्ली (एसएनबी)। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दावा किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) चंदन, चिनार, चेरी ब्लोसम के बाद हल्दी की एक नई प्रजाति को लेकर आया है। यमुना किनारे बांसेरा पार्क में इसका प्रयोग 80 फीसद तक सफल रहा है। डीडीए इस प्रजाति को अपने दूसरे पार्कों में भी स्थापित करेगा। हल्दी की यह प्रजाति दिल्ली के लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। जल्द ही इसे दिल्ली के लोगों को मुहैया कराया जाएगा। इस ओर तेजी से काम चल रहा है।

उप-राज्यपाल का कहना है कि मेघालय की इस विश्व प्रसिद्ध हल्दी की प्रजाति की पहली फसल जल्द ही बांसेरा पार्क में दिखेगी। यमुना किनारे दो एकड़ में बने घने बांसेरा पार्क में हल्दी मूर्तरूप से ले रही है। बीते चार महीने में डीडीए के इन प्रयासों को सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि हल्दी की इस प्रजाति का इस्तेमाल लगातार किए जा रहे नए प्रयोग और अंतर सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसका उद्देश्य दिल्ली की वनस्पतियों में विविधता लाना है। डीडीए ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में चंदन, चिनार, चेरी ब्लोसम, वाटर एप्पल, ग्रीन एप्पल और अंगूर उगाने के सफल प्रयोग के बाद यह कदम उठाया है। डीडीए अपने इन्हीं प्रयासों को जारी रखते हुए हल्दी की इस प्रजाति को दिल्ली को लेकर आई है। सक्सेना ने डीडीए को इसका बीज खरीदकर उगाने के निर्देश दिए थे। बांस का पेड़ हल्दी के लिए विशेष उपयोगी माना जाता है। उप-राज्यपाल ने हल्दी की इस प्रजाति के उत्पादन की जगह का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मेघालय में जैंतिया हिल्स पर पाई जाने वाली विशेष प्रजाति की बेशकीमती है। इसे दुनियाभर में सबसे अच्छी प्रजाति की हल्दी माना जाता है। डीडीए ने 5 कुंतल के बीज राइजोम (हल्दी के पौधे का भूमिगत तना) खरीदे थे और जून के महीने में इसे बांसेरा पार्क में लगाया था। अब उसके पौधे बारीकी से नजर आने लगे हैं। डीडीए ने वहां ऐसा वातावरण तैयार किया है, जिससे दोनों तरह के पेड़ फल फूल रहे हैं। इस हल्दी को उगाने में मिली सफलता के आधार पर ही डीडीए इसकी खेती करने पर विचार कर रहा है। यह हल्दी विशेष कोरोमिन के लिए जानी जाती है। इसमें करीब 7.4 फीसद इसकी मात्रा होती है और इस वजह से ही इसकी मांग औषधीय व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अधिक है। इसके अलावा इसमें 3.6 से 4.8 फीसद तक वॉलाटिल ऑयल कॉन्टेंट होता है।

amarujala.com | नई दिल्ली | बृहस्पतिवार, 3 अक्तूबर 2024

डीडीए के सिरसपुर के एलआईजी फ्लैटों में 15 प्रतिशत की छूट

अमर उजाला ब्यूरो

15 लाख से कीमत शुरू, कई सुविधाओं के साथ सर्फेस पार्किंग

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सिरसपुर में सस्ता घर स्कीम के तहत 15 प्रतिशत छूट के बाद 15 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर एलआईजी फ्लैटों की पेशकश की है। हाल ही में लॉन्च हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैटों की पेशकश की गई है। यहां कई सुविधाओं के साथ अच्छी सर्फेस पार्किंग है।

यह क्षेत्र जीटी करनाल रोड और समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन के पास है। इसके समीप बहुत सारे स्कूल और अस्पताल के साथ ही एम्युजमेंट पार्क भी हैं। डीडीए घर खरीदने वालों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए हाउसिंग पॉकेट के आस-पास हरित क्षेत्र का विकास भी कर रहा है। इसके अलावा हाउसिंग ब्लॉकों की अहमियत बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फाइनल टच दिया जा रहा है। साथ ही, डीडीए क्षेत्र की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों के साथ भी संपर्क में है।

डीडीए ने अगस्त 2024 में विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों के लिए विभिन्न स्थानों जैसे द्वारका, जसोला, नरेला, रोहिणी, लोकनायकपुरम, रामगढ़ और सिरसपुर में तीन आवासीय योजनाएं-सस्ता घर और मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम और द्वारका हाउसिंग स्कीमों की शुरुआत की। पहली दो स्कीमों के लिए खरीदार पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) आधार पर फ्लैट खरीद सकते हैं जबकि द्वारका हाउसिंग स्कीम में ई-ऑक्शन के द्वारा फ्लैटों की बिक्री की गई। द्वारका हाउसिंग स्कीम का समापन हो चुका है, जबकि पहले आओ पहले पाओ स्कीम अभी भी चल रही है और खरीदार डीडीए की अधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करके फ्लैट बुक कर सकते हैं। सभी फ्लैट फ्री-होल्ड प्रॉपर्टी हैं और रेडी टू मूव इन हैं।

उधर, डीडीए ने महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत दिवस के तहत सिरसपुर हाउसिंग पॉकेट में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। डीडीए के अभियंता सदस्य अशोक कुमार गुप्ता, प्रधान आयुक्त चितरंजन दास ने डीडीए अधिकारियों व कर्मचारियों और लोगों के साथ अभियान का नेतृत्व किया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ दैनिक भास्कर नई दिल्ली, गुरुवार 03 अक्टूबर, 2024 ----DATED-------------------

भास्कर खास • 2 एकड़ भूमि पर बांस के पेड़ों के नीचे लगाए पौधों ने 4 महीने में शानदार वृद्धि दिखाई

मेघालय की जैंतिया पहाड़ियों की दुर्लभ लकडोंग हल्दी की फसल अब यमुना किनारे बांसेरा पार्क में लहरा रही, जल्द बाजार में बिकेगी

जून में 5 क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले बीज खरीदकर लगाए गए थे

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

यमुना के किनारे हरे-भरे बांसेरा पार्क में जल्द ही मेघालय की विश्व प्रसिद्ध लकडोंग हल्दी की पहली फसल होने वाली है। एलजी वीके सक्सेना की पहल पर डीडीए ने बांसेरा में 2 एकड़ भूमि पर घने बांस के पेड़ों के नीचे लकडोंग हल्दी लगाई है, जिसने पिछले 4 महीनों में शानदार वृद्धि दिखाई है। हल्दी की यह बहुप्रतीक्षित किस्म जल्द ही डीडीए द्वारा बिक्री के माध्यम से दिल्ली के लोगों को उपलब्ध हो सकती है।

डीडीए ने एलजी सक्सेना के आदेश पर सराय काले खां स्थित बांसेरा पार्क में चंदन, चिनार और चेरी ब्लॉसम के बाद मेघालय की लकडोंग हल्दी के पौधे लगाए हैं। इन प्रयोगों में 80% सफलता हासिल मिली है। डीडीए अब अपने अन्य हरियाली वाले क्षेत्रों में भी इस तरह के पौधे लगाएगा।

डीडीए ने मेघालय से 5 क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले लकडोंग हल्दी के बीज राइजोम (हल्दी के पौधे का भूमिगत तना) खरीदे और जून के महीने में बांसेरा में लगाए। तब से फसल ने 80% से अधिक की उत्तरजीविता दर के साथ आशाजनक वृद्धि दिखाई है। बागवानी विशेषज्ञ हल्दी के पौधों की वृद्धि पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। बांसेरा में 30 हजार से अधिक बांस के पौधे हैं। अब बांसेरा ने एक ऐसा सहजीवी वातावरण बनाया है जिसमें हल्दी और बांस दोनों ही फल-फूल रहे हैं।

लकडोंग की खेती का उद्देश्य वनस्पतियों में विविधता जोड़ना

मेघालय की जैंतिया पहाड़ियों में पाई जाने वाली हल्दी की एक दुर्लभ और बेशकीमती किस्म है लकडोंग हल्दी। ये अपनी उच्च कर्क्यूमिन सामग्री के लिए जानी जाती है, जो इसे एक चमकदार पीला रंग और एक विशिष्ट सुगंध और मिट्टी का स्वाद देती है। लकडोंग हल्दी की प्रायोगिक खेती का उद्देश्य दिल्ली की वनस्पतियों में विविधता जोड़ना है और ये राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में चंदन, चिनार, चेरी ब्लॉसम, वाटर एप्पल, ग्रीन एप्पल और अंगूर के सफल रोपण के बाद आया है। इन प्रयासों को जारी रखते हुए एलजी ने डीडीए को मेघालय से लकडोंग हल्दी के बीज खरीदने और बांसेरा में बांस के बागों के नीचे इसकी खेती करने का निर्देश दिया था, जिन्हें इस हल्दी के अस्तित्व और विकास के लिए अनुकूल माना जाता है।

3 अक्तूबर, 2024 • दिल्ली **पंजाब केसरी**

डीडीए ने स्वच्छता अभियान चलाया

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : महात्मा गांधी की जयंती मनाते हुए स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सिरसपुर हाउसिंग पॉकेट में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। डीडीए के अभियंता सदस्य अशोक कुमार गुप्ता और डीडीए के प्रधान आयुक्त चितरंजन दास ने डीडीए अधिकारियों तथा स्टाफ और आम जनता के साथ इस अभियान का नेतृत्व किया। सिरसपुर एक प्रमुख स्थान जहां डीडीए द्वारा हाल ही में लांच की गई हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत फ्लैटों की पेशकश की गई है। सस्ता घर स्कीम के अंतर्गत डीडीए 15 प्रतिशत छूट के बाद 15 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर सिरसपुर में एलआईजी फ्लैटों की पेशकश कर रहा है। इन फ्लैटों में बहुत सारी सुविधाएं और अच्छी सर्फेस पार्किंग है। यह क्षेत्र जीटी करनाल रोड और समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन के निकट है। इसके समीप बहुत सारे स्कूल और अस्पताल के साथ ही एम्यूजमेंट पार्क भी हैं। घर खरीदने वालों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए डीडीए हाउसिंग पॉकेट के आस-पास हरित क्षेत्र का विकास भी कर रहा है। इसके अलावा हाउसिंग ब्लॉकों की अहमियत बढ़ाने के लिए इन्हें अतिरिक्त फाइनल टच दिया जा रहा है।

बांसेरा में डीडीए ने उगाई मेघालय की लकडोंग हल्दी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली में यमुना के किनारे 'बांसेरा' में जल्द ही मेघालय की विश्व प्रसिद्ध 'लकडोंग हल्दी' की पहली फसल होने वाली है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की पहल पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बांसेरा में 2 एकड़ से अधिक की भूमि पर घने बांस के पेड़ों के बीच, लकडोंग हल्दी को लगाया था। बीते 4 महीनों में इसमें शानदार वृद्धि देखने को मिली है। दिल्ली के लोगों को यह जल्द ही डीडीए से बिक्री के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है। उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली में लकडोंग हल्दी को उगाने का यह प्रयोग, उनके लगातार किए गए नए प्रयोग और अंतर-सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य दिल्ली की वनस्पतियों में विविधता लाना है। यह दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में चंदन, चिनार, चेरी ब्लॉसम, वाटर एप्पल, ग्रीन एप्पल और अंगूर उगाने के सफल प्रयोग के बाद किया गया है। अपने इन्हीं प्रयासों को जारी रखते हुए, उपराज्यपाल ने डीडीए को मेघालय से लकडोंग हल्दी के बीज खरीदने और बांसेरा में बांस के पेड़ों के नीचे इसकी खेती करने का निर्देश दिया था। बांस का पेड़ इसके विकास के लिए अनुकूल माना जाता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- the pioneer
NEW DELHI I WEDNESDAY I OCTOBER 2, 2024

DDA allows DISCOMs to provide new electricity connections: Raj Niwas

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

In a major relief to lakhs of people in the development areas of 105 urbanized villages, colonies regularized by Municipal Corporation of Delhi(MCD), the Delhi Development Authority(DDA) has allowed DISCOMs to provide new electricity connections, Raj Niwas said on Tuesday.

Giving details, officials said the move comes after directions from Delhi Lt Governor(LG)V K Saxena, who had received representations from all Delhi MPs, certain MLAs and several Resident Welfare Associations in this regard. Moreover, during the LG's visits to such areas, this demand had been raised by hundreds of people LG interacted with.

The beneficiaries include whose colonies were regularised prior to issuance of Land Pooling Regulations, 2018, land allotted to the landless persons under 20 Point Program, Industry / Godown situated in non-conforming industrial area as per MPD-2021, and JJ colonies.

The DDA has allowed for such connections on all lands where DDA or any other government agency has issued NoC in the past or where plans stand approved for development by any government agency.

A decision had earlier been taken in June, 2023, wherein no new connections were to be allowed within the development areas of 105 urbanized villages in the land pooling areas, since authorization for new constructions in these areas were to be issued by DDA subsequent notification of sectors in these areas as per the Land Pooling Policy.

In this order of June, 2023, exemption was given to Lal Dora, extended Lal Dora and PM-UDAY colonies within the land pooling areas.

Certain areas within development area have been reported which have sanction/ prior approval of various government bodies.

The MCD has regularized 567 colonies in Delhi, prior to notification of Land pooling. Some of the colonies are falling in the land pooling area. These colonies were regularized by the MCD prior to the declaration of the notification of the development area.

However, all such colonies which have been regularized by MCD prior to 24.10.2018 (date of notification of the Regulations of 2018) would be cover under above mentioned Para 3 (1) (e) Regulations of 2018.

Also, land allotted to landless person (falling within Land pooling area) under 20 point Programme by the concerned Departments of GNCTD. Such land allotted prior to 24.10.2018 by the GNCTD are also covered under Para 3 (1)(e) Regulations of 2018. In such cases the concerned DISCOM may take up the matter with the concerned Departments of GNCTD, for any clarification.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- पंजाब केसरी DELHI - 2 अक्तूबर, 2024 ▶ बुधवार

खुशखबरी एलजी के निर्देश पर डीडीए ने डिस्कॉम को दी नए कनेक्शन देने की अनुमति

105 गांवों और 567 कॉलोनियों में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली में नियमित की गई 567 कालोनियों और 105 शहरीकृत गांवों के विकास क्षेत्र में नए बिजली कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इन जगहों पर निजी बिजली कंपनियों को नए कनेक्शन देने की अनुमति दी है। मालूम हो कि इस संबंध में एलजी को दिल्ली के सभी सांसदों, कुछ विधायकों और विभिन्न आरडब्ल्यूए से ज्ञापन मिले थे। इसके बाद एलजी ने डीडीए समेत कई विभागों के अधिकारियों के साथ इन क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया था।

डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि इस फैसले से कई लाख लोग लाभान्वित होंगे। इसमें दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की तरफ से 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीन व्यक्ति को आवंटित भूमि में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही लैंड पुलिंग क्षेत्र में आने वाले भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित जमीन में भी बिजली कंपनियां इस संबंध में काम करेंगी और नए बिजली कनेक्शन देंगी। इसके अलावा मास्टर प्लान 2021 में आने वाले गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योग व गोदामों में भी नए बिजली कनेक्शन मिलेगा। उन जगहों पर भी निवासियों को लाभ मिलेगा, जहां डीडीए ने भूमि अधिकार आवंटित किया है। इसमें जेजे कालोनियों के निवासियों को राहत मिलेगी। यहां बता दें कि एलजी वीके सक्सेना दिल्लीवालों के हित से जुड़े फैसलों को लागू करने के लिए तेजी से काम करते हैं ताकि बड़ी संख्या में लोगों को उन फैसलों से लाभ मिल सके। इतना ही नहीं वे स्वयं इनकी जमीनी हकीकत भी जायजा लेते हैं ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके। एलजी पूर्व में भी लोगों के हित से जुड़े मामलों पर फैसला ले चुके हैं।

जहां एनओसी जारी किया, वहां मिलेगी सुविधा

डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि डीडीए ने उन सभी जमीनों पर ऐसे कनेक्शन की अनुमति दी है, जहां डीडीए या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी ने पूर्व में एनओसी जारी किया हुआ है। इसमें वह भी क्षेत्र शामिल हैं, जहां पर किसी सरकारी एजेंसी द्वारा विकास के लिए योजनाएं को मंजूरी मिली है। अधिकारियों ने बताया कि लैंड पुलिंग अधिनियम 2018 के जारी होने से पहले निगम ने 567 कालोनियों को नियमित किया था। इसमें कुछ कालोनियां लैंड पुलिंग क्षेत्र में भी आ रही थीं।

जून 2023 में 105 शहरीकृत गांवों में नया कनेक्शन न देने का किया गया था फैसला

इससे पहले जून 2023 में लैंड पुलिंग के अधीन आने वाले 105 शहरीकृत गांवों के विकास क्षेत्र में कोई नया बिजली कनेक्शन न देने का फैसला लिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन क्षेत्रों में डीडीए को नए निर्माण के लिए अधिसूचना जारी करनी थी। अधिकारियों ने बताया कि जून 2023 में लिए गए फैसले में लैंड पुलिंग क्षेत्र में आने वाले लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा और पीएम उदय (प्रधानमंत्री - अनधिकृत कालोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना) कालोनियों को छूट दी गई थी।

शाही ईदगाह समिति को कोर्ट ने दी नसीहत, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शख्सियत

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली के सदर बाजार के शाही ईदगाह पार्क में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एक बार फिर हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? कोर्ट ने कड़े लहजे में ये भी कहा कि रानी लक्ष्मीबाई कोई धार्मिक शख्सियत नहीं है, वह तो राष्ट्रीय शख्सियत हैं। हम 1857 की लड़ाई को नहीं भूल सकते। इस मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाए जाने के विरोध में हाई कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को नसीहत देते हुए कोर्ट ने उन्हें खुद पहल करने को कहा और शाही ईदगाह प्रबंधन समिति से पूछा कि क्या वे इसके लिए तैयार हैं? सदर बाजार इलाके मे ईदगाह से सटे डीडीए पार्क में मूर्ति लगाए जाने का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। इस दौरान रानी लक्ष्मी बाई को राष्ट्रीय नायक बताते हुए कोर्ट ने कहा कि वह कोई धार्मिक शख्सियत नहीं। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला खंडपीठ ने हैरानी जताई कि क्यों समिति की ओर से मूर्ति का विरोध किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा उन वजहों में से एक है जिसकी वजह से पुलिस कमिश्नर को शहर में निषेधाज्ञा का आदेश जारी करना पड़ा है। अदालत ने कहा कि वह टकराव नहीं चाहती है। आपको खुद पहल करनी चाहिए। वह तो राष्ट्रीय शख्सियत हैं, धार्मिक नहीं। अपने क्लाइंट से पूछिए क्या वे तैयार हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों भावनाएं इतनी ज्यादा हैं। कमिश्नर ने शहर में 144 (बीएनएस में 163) लगाई है और यह भी एक वजह है। हम आपके बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं, यह विरोध क्यों?' बेंच ने कहा कि आपको खुद पहल करनी चाहिए। वास्तव में आपको खुद ही आगे आना चाहिए। कोई आपकी प्रार्थना में बाधा नही बनना चाहता। हम टकराव नही चाहते। आप उन्हें बताइए हम किस तरह इस मामले में बढ़ रहे हैं। इसे टकराव का मुद्दा मत बनने दीजिए। उन्हें भी सहमत होने दीजिए, उन्हें एक चांस दीजिए। मुझे लगता है कि हम इसे सहमति के साथ कर सकते हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS नई दिल्ली । बुधवार • 2 अक्टूबर • 2024 राष्ट्रीय सहारा

प्रतिबंधित क्षेत्र में अब लग सकेंगे बिजली के नए कनेक्शन

- दिल्ली के ग्रामीणों को बड़ी राहत
- कनेक्शन के लिए डीडीए की एनओसी जरूरी नहीं
- डीडीए ने डिस्कॉम को बिजली कनेक्शन देने की अनुमति दी

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी के प्रतिबंधित क्षेत्रों की संपत्तियों को भी अब बिजली के कनेक्शन मिल सकेंगे। इसके लिए दिल्ली विकास विकास (डीडीए) से अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसमें प्रमुख रूप से दिल्ली के 105 शहरीकृत गांवों के विकसित क्षेत्र, लैंड पूलिंग रेगुलेशन (वर्ष 2018 में लैड पूलिंग योजना लागू होने से पहले) मास्टर प्लान-2021 में घोषित नॉन कंफर्मिंग एरिया शामिल है। यह जानकारी राजनिवास ने जारी बयान में दी है। डीडीए ने डिस्कॉम को इन क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन देने की अनुमति दे दी है। दिल्ली के लोगों के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है।

राजनिवास ने जारी बयान में कहा है कि दिल्ली के लोगों की इन समस्याओं को लेकर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की तरफ से उनके पास बड़ी संख्या में प्रत्यावेदन आए थे। इसके समाधान के लिए दिल्ली के सभी सांसद भी उपराज्यपाल से मिले थे। सांसदों से मुलाकात के बाद उपराज्यपाल ने भी क्षेत्रों का दौरा किया था। उपराज्यपाल का यह निर्णय सबसे बड़ी राहत दिल्ली के उन 105 शहरीकृत गांवों के लिए माना जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में गांवों के आसपास औद्योगिक गोदाम या औद्योगिक गतिविधियां चल रही है। इसके साथ ही ऐसे इलाके हैं जो लैंड पूलिंग एरिया में आते हैं और 2018 से पहले दिल्ली नगर निगम के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भूमिहीनों को जो भूमि आवंटित कर रखी है। पीएम-उदय योजना के तहत डीडीए ने कालोनियों के लोगों को अधिकार पत्र जारी किए हैं। उपराज्यपाल ने सभी पक्षों से विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया है। इस संबंध में डिस्कॉम को एक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------- दैनिक भास्कर नई दिल्ली, बुधवार 02 अक्टूबर, 2024 ----DATED--------------------

कई इलाकों में 5 अक्टूबर तक धरना-प्रदर्शन पर रहेगी पाबंदी

शाही ईदगाह का मुद्दा भी धारा 163 लगाने की वजहः हाईकोर्ट

केंद्र पर निशाना; आप बोली- यह त्योहारों से पहले कर्फ्यू

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

दिल्ली के कई इलाकों में बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा सभी बॉर्डरों पर 5 अक्टूबर तक धारा 163 लागू की है। पुलिस के मुताबिक, इन सभी इलाकों में पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इस दौरान धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी और कोई किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आएगा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर के पहले हफ्ते में कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन समेत विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने का ऐलान किया है। जैसे एमसीडी स्थायी समिति के चुनाव, वक्फ संशोधन विधेयक जोकि प्रस्तावित, शाही ईदगाह, डूसू चुनाव के लंबित नतीजे जैसे मुद्दों की वजह से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

कोर्टः लक्ष्मीबाई धार्मिक नहीं, राष्ट्रीय शख्सियत हैं...

शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाए जाने के विरोध में हाई कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने एक बार फिर नसीहत दी है। कोर्ट ने खुद पहल करने की सलाह देते हुए ईदगाह प्रबंधन समिति से पूछा कि क्या वे इसके लिए तैयार हैं? सदर बाजार में बनी ईदगाह से सटे डीडीए पार्क में मूर्ति लगाए जाने का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। कोर्ट ने कड़े लहजे में कहा रानी लक्ष्मीबाई कोई धार्मिक शख्सियत नहीं है, वह तो राष्ट्रीय शख्सियत हैं। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने हैरानी जताई कि क्यों समिति की ओर से मूर्ति का विरोध किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा यह मुद्दा उन वजहों में से एक है जिसकी वजह से पुलिस कमिश्नर को शहर में निषेधाज्ञा का आदेश जारी करना पड़ा है।

आप ने की आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की...

त्योहारों से पहले पुलिस आयुक्त की ओर से धारा 163 लगाने पर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली वाले इस फरमान को नहीं मानेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से तुरंत इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए केंद्र सरकार को एलजी का इस्तीफा लेना चाहिए। धारा 163 लागू होने के बाद एक जगह पर पांच या उससे अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। अभी नवरात्र से ठीक पहले यह कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में लोग परिवार सहित मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाएंगे। सड़कों पर जगह-जगह भंडारे होंगे और विभिन्न कॉलोनियों में जागरण का आयोजन होगा। ऐसे में क्या इन जगहों पर पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे? रामलीला शुरू हो रही है। वहां भी भारी संख्या में लोग जुटेंगे।

दिल्ली के 105 गांव को मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, एलजी ने दिए आदेश

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

दिल्ली के 105 शहरीकृत गांवों के डेवलपमेंट एरिया में भूमि पूलिंग पालिसी 2018 जारी होने से पहले 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत एलजी ने नए बिजली कनेक्शन की सुविधा देने का आदेश दिया है। एलजी के निर्देशों के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) इन जगहों पर बिजली कंपनियों को नए बिजली कनेक्शन देने की अनुमति दी है। इस संबंध में एलजी को सभी सांसदों, विधायकों और विभिन्न आरडब्ल्यूए से ज्ञापन मिले थे। इसके बाद एलजी ने डीडीए समेत कई विभागों के अधिकारियों के साथ इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। जहां पर उपराज्यपाल से सैकड़ों लोगों ने मुलाकात कर यह मांग की थी इस आदेश से लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि डीडीए ने उन सभी जमीनों पर ऐसे कनेक्शन की अनुमति दी है, जहां डीडीए या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी ने पूर्व में एनओसी जारी किया हुआ है, या फिर जहां किसी सरकारी एजेंसी द्वारा विकास के लिए योजनाएं को मंजूरी मिली है। इससे पूर्व, जून 2023 में लैंड पूलिंग क्षेत्रों के अंतर्गत 105 शहरीकृत गांवों के डेवलपमेंट एरिया में कोई भी नया बिजली कनेक्शन न देने का फैसला लिया गया था, क्योंकि लैंड पूलिंग पालिसी के अनुसार इन क्षेत्रों में डीडीए द्वारा नए निर्माण के लिए अगली अधिसूचना जारी की जानी थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- अमर उजाला नई दिल्ली | बुधवार, 2 अक्तूबर 2024

दिल्ली विकास प्राधिकरण

Where Development Values Nature

इस नवरात्रि, पायें अपना

सुंदर, टिकाऊ घर

कम दामों में।

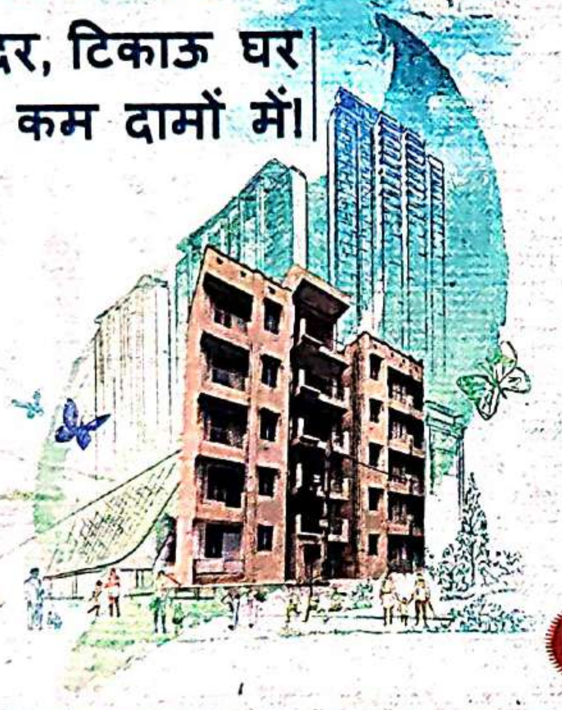

सिरसपुर

में पहले आओ पहले पाओ

डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024

एलआईजी फ्लैट: शुरुआती कीमत ₹14.8 लाख

सिरसपुर के पॉकेट A1, B1, C2, और D1 में फ्लैट उपलब्ध

मुख्य विशेषताएँ

- सरफेस पार्किंग उपलब्ध
- जीटी करनाल रोड के नजदीक
- निकटतम मेट्रो स्टेशन - समयपुर बादली (येलो लाइन)
- नजदीकी स्कूल - गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल (सिरसपुर) और वेदिक पब्लिक स्कूल
- निकटवर्ती अस्पताल - ईएसआईसी सरकारी अस्पताल और एकता अस्पताल
- निकटवर्ती आकर्षण- स्प्लैश वाटर पार्क, भलस्वा झील, भलस्वा गोल्फ कोर्स और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी

फ्री होल्ड प्रॉपर्टी

अधिक जानकारी के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

विस्तृत विवरण के लिए डायल करें

टॉल फ्री नं. : 1800110332

आवेदन के लिए www.dda.gov.in or www.eservices.dda.org.in पर जायें

हमें फॉलो करें : @ddaofficial @official_dda @official_dda

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- पंजाब केसरी DELHI 2 अक्तूबर, 2024 ▶ बुधवार

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- HE TIMES OF INDIA, NEW DELHI THURSDAY, OCTOBER 3, 2024 ----------

DDA brings Lakadong turmeric to city

Times News Network

New Delhi: After chandan, chinar and cherry blossom, Delhi Development Authority has brought the famous Lakadong turmeric to Delhi. Lakadong turmeric is a rare and prized variety of turmeric that is native to the Jaintia hills of Meghalaya. It is known for its high curcumin content, which gives it a bright yellow colour and a distinct aroma and earthy flavour.

An official said that on the direction of lieutenant governor VK Saxena, DDA had implemented a pilot project for planting turmeric at Baansera four months back, which exhibited an 80% success rate.

"Now, a decision has been taken to replicate the plantation at its other green spaces too. Further, plans are afoot to make this much sought-after variety of turmeric available to the people of Delhi. DDA will take up the sale of this variety in future," said the official further.

The trial cultivation of Lakadong turmeric was in line with Saxena's persistent innovative approach aimed at adding diversity to Delhi's flora and comes after the plantation of chandan, chinar, cherry blossom, water apple, green apple and grapes.

Hindustan Times

Meghalaya's turmeric thriving in Delhi: DDA

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) has procured Lakadong turmeric from Meghalaya and planted it under bamboo groves over two acres of land at Baansera near Sarai Kale Khan as part of the lieutenant governor's efforts to add diversity to Delhi's flora, officials said.

Since its plantation in June this year, the turmeric crop has shown 80% survival rate, the officials said. DDA now plans to start sale of the sought-after species in Delhi. "Based on the successful crop yield, DDA will consider cultivation of Lakadong turmeric on a larger scale," said an agency official.

New Timelines Set For Yamuna Revival

DDA & Others Plan Fresh Initiatives

Abhinav.Rajput
@timesofindia.com

New Delhi: Delhi govt has been given timelines by land-owning agencies to finish initiatives aimed at revitalising the Yamuna.

By March 2025, the Kalindi Aviral Extension Project is expected to be finished, while the Hindon Sarovar, spread over 30 acres, will be completed by April 2025. Similarly, the Mayur Nature Park will take over a year to complete—its deadline is March 2026. Additionally, a 30-acre eco-tourism area is being planned according to details given by the landowning agency to Delhi govt.

A senior official said that these projects will infuse vitality into Delhi's green spaces and contribute to the rejuvenation of the Yamuna.

Acting on the directions of National Green Tribunal (NGT), DDA has been working on restoring the Yamuna floodplain, spread over 1,600 hectares (including areas under the jurisdiction of the UP irrigation department), over the last few years. Of these, many projects have already been completed, including Asita East, Phase I of Asita West, and Phase I of Yamuna Vanasthali.

A senior Delhi govt official said that a large section of the Kalindi Aviral Extension project, spread over 163 acres, is complete. He said that work was on at other projects and would be completed within the given deadline.

DDA is developing the Mayur Nature Park, spread over 400 acres. Work will start soon, an official said.

DDA's rejuvenation project involves the creation of new wetlands and waterbodies and the restoration of old ones, construction of walkways, cycle tracks and eco trails, floodplain forests and grasslands, open congregational spaces and play areas, redevelopment of ghats and construction of viewing platforms.

A senior official said that these projects will infuse vitality into Delhi's green spaces and contribute to rejuvenation of the Yamuna

As part of the restoration of the fragile ecosystem, DDA will develop an eco-tourism area over 30 acres.

DDA has reclaimed 300 acres encroachment on the floodplain, including removing dairy farms and cricket grounds, during anti-encroachment drives between Aug 2022 and Jan 2024.

This includes land meant for biodiversity parks, eco-tourism areas, and other green zones. The landowning agency also cleared 10 locations of around 3,906 illegal establishments that included jhuggis, cultivated fields and dairies in this 18-month period, according to data given by DDA to the state govt.

In 2019, the National Green Tribunal had decreed that occupation of the floodplain land couldn't be permitted because such occupation could damage the riverine ecology. In fact, experts have said that encroachments of the floodplain were among the reasons for last year's massive flooding.

The areas where DDA acted against encroachments were Asita Part B, Asita West, Amrut Biodiversity Park, Ghat Area, Yamuna Vanasthali, Eco-Tourism Area, Kalindi Aviral (Baansera), Mayur Nature Park, Hindon Cut, and Kalindi Biodiversity Park.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------- **दैनिक जागरण** नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2024 --------------------

चंदन और चिनार के बाद बांसेरा पार्क में लगे लाकाडोंग हल्दी के पौधे

बांसेरा पार्क में लगाए गए मेघालय की लाकाडोंग हल्दी के पौधे • सौजन्यः डीडीए

- उपराज्यपाल की पहल पर डीडीए ने दो एकड़ से अधिक भूमि पर लगाए थे हल्दी के पौधे
- चार महीने में इसमें खासी वृद्धि हुई, जल्द ही बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है हल्दी

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली : यमुना के किनारे हरे-भरे 'बांसेरा' में जल्द ही मेघालय की विश्व प्रसिद्ध लाकाडोंग हल्दी की पहली फसल होने वाली है। एलजी वीके सक्सेना की पहल पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यहां दो एकड़ से अधिक भूमि पर घने बांस के पेड़ों के बीच इस हल्दी के पौधे लगाए थे। बीते चार माह में इसमें खासी वृद्धि देखने को मिली है। दिल्लीवासियों को जल्द ही यह हल्दी डीडीए से बिक्री के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है।

एलजी की ओर से दिल्ली में लाकाडोंग हल्दी उगाने का यह प्रयोग, लगातार किए गए नए-नए प्रयोग और अंतर-सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसका उद्देश्य दिल्ली की वनस्पतियों में विविधता लाना है। यहां के विभिन्न हिस्सों में चंदन, चिनार, चेरी ब्लासम, वाटर एप्पल, ग्रीन एप्पल और अंगूर उगाने के सफल प्रयोग के बाद हल्दी का प्रयोग किया गया है। बांस का पेड़ इसके विकास के लिए अनुकूल माना जाता है। मेघालय की जैंतिया हिल्स में पाई जाने वाली इस हल्दी की एक दुर्लभ और बेशकीमती किस्म है। इसमें मौजूद उच्च करक्यूमिन के लिए जानी जाती है, जो इसे चमकीला पीला रंग और एक खास सुगंध व स्वाद देती है। इसे दुनिया भर में हल्दी की सबसे अच्छी किस्मों में से एक माना जाता है।

एलजी के निर्देशानुसार डीडीए ने मेघालय से इस हल्दी पांच क्विंटल बीज - राइजोम (हल्दी के पौधे का भूमिगत तना) खरीदे थे और जून में इन्हें बांसेरा में लगाया था, तब से 80 प्रतिशत से अधिक की जीवित दर के साथ इसमें आशाजनक वृद्धि देखी गई है। बागवानी विशेषज्ञ हल्दी के पौधों की वृद्धि पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। बांसेरा, जिसमें 30 हजार से अधिक बांस के पौधे हैं, ने इसके लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनाया है, जिसमें हल्दी और बांस दोनों ही फल-फूल रहे हैं। इस हल्दी को उगाने में मिली सफलता के आधार पर ही अब डीडीए, दिल्ली के विभिन्न स्थानों में इसकी खेती करने पर विचार करेगा। लाकाडोंग हल्दी, जो अपने असाधारण करक्यूमिन के लिए जानी जाती है, जो इसमें करीब 7.4 प्रतिशत तक होता है। इसी वजह से इसकी मांग औषधीय और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है। इसके अलावा इसमें 3.6 प्रतिशत से 4.8 प्रतिशत तक तेल सामग्री होती है, जिसकी मांग विभिन्न उद्योगों में होती है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, WEDNESDAY, OCTOBER 2, 2024

NAME OF NEWSPAPERS

DDA allows power discoms to provide new connections in 4 land pooling areas

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, OCTOBER 1

THE DELHI Development Authority (DDA) has allowed power discoms to provide new electricity connections to residents of four categories of land pooling areas, including the urbanised villages and colonies under the jurisdiction of the Municipal Corporation of Delhi (MCD). For months, residents in these places were devoid of electricity connections after falling under the land pooling area.

The decision comes following Lieutenant Governor (L-G) Vinai Kumar Saxena's directions after he received a number of representations from all Delhi MPs, a few MLAs and several Resident Welfare Associations. Several people also raised the issue during the L-G's visit to the affected places, officials from his office said.

The Indian Express first reported about this matter in April.

DDA has allowed for power connections on all lands where it or any other government agency has issued NoC (no-objection certificates) in the past or where any government agency has approved plans for development, officials said. The decision comes as a major relief of four areas include colonies regularised by MCD prior to issuance of notification of land pooling Regulations, 2018; land allotted to landless person (falling within the land pooling area) under the 20-point programme of the Revenue department; industry/godown situated in non-conforming industrial area as area notified in Master Plan for Delhi-2021; and government land/allotted land/J.J colonies wherein DDA has allotted the land rights, among others. "In the aforesaid four categories of areas, the discoms may follow their existing protocol for new electricity connections without making any further reference to DDA," the officials added. Earlier, the people had to first seek NoC from the authority under whose jurisdiction their house fell under and submit it to discoms for electricity connection.

Officials said a decision was taken in June 2023 wherein no new connections were to be allowed within the development areas of 105 urbanised villages in the land pooling areas.

NEW DELHI
WEDNESDAY
OCTOBER 02, 2024
Hindustan Times

DDA allows power to regularised colonies

HT Correspondent
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) on Tuesday allowed the power distribution companies to provide new electricity connections without needing a no-objection certificate in 105 urbanised villages and colonies regularised by the Municipal Corporation of Delhi where other government agencies issued NoCs in the past or where development plans were approved by a government agency.

This comes as a major relief to hundreds of thousands in areas where new connections were nearly stopped after the Land Pooling Regulations, 2018 were introduced, officials said. Such areas include the land allotted under 20-point programme and JJ colonies.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 2 अक्टूबर 2024

वक्फ के किरायेदारों ने कहा, पट्टा 99 साल के लिए हो

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

वक्फ संशोधन बिल को लेकर समाज के अलग-अलग वर्गों से जुड़े सरोकार सामने आ रहे है। पिछले दिनो वक्फ संपत्तियो से जुड़े किराएदारो ने भी अपने मुद्दो को लेकर एक संवाद का आयोजन किया और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी मे अपनी बात रखी। वक्फ के किरायेदार कल्याण संघ यानी WTA ने इस दौरान अपनी मांग और सुझाव भी रखे। कार्यक्रम मे वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54, 56, 83, 85 के चलते वक्फ बोर्ड के किरायेदारो को होने वाली परेशानी पर चर्चा हुई और वक्फ अधिनियम और वक्फ संपत्ति पट्टा नियमो मे और संशोधन की सिफारिश की गई।

WTA ने अपनी सिफारिश मे कहा कि चूंकि वक्फ संपत्तियो को बेचा नही जा सकता है और इनसे राजस्व पाने का एकमात्र तरीका उन्हे पट्टे पर देना है, इसलिए वक्फ के सभी कानूनी किरायेदारो को उनकी श्रेणी या प्रकृति की परवाह किए बिना अचल संपत्ति के लिए 99 साल का लंबा पट्टा दिया जाना चाहिए। मसलन कृषि, कोल्ड स्टोरेज, रेस्तरां, दुकान मालिक, शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़े उपक्रमो के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। डब्ल्यूटीए का कहना था कि यह ठेका कुछ उसी तरह होना चाहिए, जैसा डीडीए और यूपीएसआईडीएस जैसी दूसरी एजेंसियां संपत्ति के रजिस्ट्रेशन मूल्य के बराबर एकमुश्त भुगतान इकट्ठा करके अपनी अचल संपत्तियों को 99 साल के लिए पट्टे पर देती है। दलील थी कि इससे वक्फ बोर्डों मे व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने मे मदद मिलेगी। विभिन्न वक्फ बोर्ड के तहत 10-12 लाख किरायेदार जुड़े हुए है।

वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी के सामने रखी मांगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- हिन्दुस्तान नई दिल्ली, बुधवार, 2 अक्तूबर 2024 ---DATED-----------------------

राजधानी की 567 कॉलोनियों को नए बिजली कनेक्शन मिलेंगे

हि अच्छी खबर

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली में नियमित की गई 567 कॉलोनियों और 105 शहरीकृत गांवों को नए बिजली कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) इन स्थानों पर बिजली कंपनियों को कनेक्शन देने की अनुमति दी है।

अधिकारियों ने बताया कि इस फैसले का लाभ कई लोगों को मिलेगा। इसमें दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की तरफ से 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीन व्यक्ति को आवंटित भूमि में यह सुविधा भी

उपलब्ध होगी। साथ ही लैंडपूलिंग क्षेत्र में आने वाले भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित जमीन में कंपनी नए कनेक्शन देगी। इसके अलावा मास्टर प्लान-2021 में आने वाले गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योग-गोदाम में भी नए कनेक्शन मिलेंगे। उन जगहों पर भी निवासियों को लाभ मिलेगा, जिनमें डीडीए ने भूमि अधिकार को आवंटित किया है।

फैसले से लाखों लोगों को बड़ी राहत : भाजपा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शहरीकृत गांवों और अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली मीटर लगने की अनुमति से लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। भाजपा नान कंफर्मिंग एरिया के गोदामों एंव फैक्ट्रियों में बगैर एनओसी की मांग करती रही है। उपराज्यपाल ने इन सभी को राहत दी है। सचदेवा ने कहा कि वैध मीटर नहीं लगने से ये पूरे इलाके परेशान थे। गत माह उपराज्यपाल ने ग्रामीण आंचलों में भूमी म्यूटेशन खोलने की लोगों की 15 वर्ष पुरानी मांग को भी पूरा किया था। बिजली मीटर की के मामले में उन्होंने भाजपा संगठन और सांसद की मांग को माना है।

इसमें जेजे कॉलोनियों के निवासियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

जहां डीडीए ने एनओसी जारी की, वहां मिलेगी सुविधा : इस संबंध में डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि डीडीए ने उन सभी जमीनों पर ऐसे कनेक्शन की अनुमति दी है, जहां डीडीए या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी ने पूर्व में एनओसी जारी किया हुआ है। इसमें वह भी क्षेत्र शामिल हैं, जहां पर किसी सरकारी एजेंसी द्वारा विकास के लिए योजनाएं को मंजूरी मिली है। अधिकारियों ने बताया कि लैंड पूलिंग अधिनियम 2018 के जारी होने से पहले निगम ने 567 कॉलोनियों को नियमित किया था। इसमें कुछ कॉलोनियां लैंड पूलिंग क्षेत्र में भी आ रही थीं। इससे पहले जून 2023 में लैंड पूलिंग के अधीन आने वाले 105 शहरीकृत गांवों के विकास क्षेत्र में कोई भी नया बिजली कनेक्शन न देने का फैसला लिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन क्षेत्रों में डीडीए को नए निर्माण के लिए अधिसूचना जारी करनी थी।

अधिकारियों ने बताया कि जून 2023 में लिए गए फैसले में लैंड पूलिंग क्षेत्र में आने वाले लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा और पीएम उदय (प्रधानमंत्री - अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना) कॉलोनियों को छूट दी गई थी।

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर, 2024 दैनिक जागरण

567 नियमित की गईं कालोनियों व 105 गांवों में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन

राज्य ब्यूरो, जागरण. नई दिल्ली: दिल्ली में नियमित की गईं 567 कालोनियों और 105 शहरीकृत गांवों में नए बिजली कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इन जगहों पर निजी बिजली कंपनियों को नए कनेक्शन देने की अनुमति दे दी है। मालूम हो कि इस संबंध में एलजी को दिल्ली के सभी सांसदों, कुछ विधायकों और विभिन्न आरडब्ल्यूए से ज्ञापन मिले थे। लोगों ने बिजली के कनेक्शन मिलने में आ रही दिक्कतों को दूर करने का आग्रह किया था। इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए एलजी ने डीडीए समेत कई विभागों के अधिकारियों के साथ इन क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया था।

डीडीए अधिकारियों ने बताया कि इस फैसले से कई लाख लोग लाभान्वित होंगे। इसमें दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की तरफ से 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीन व्यक्ति को आवंटित भूमि में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही लैंड पुलिंग क्षेत्र में आने वाले भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित जमीन में भी बिजली कंपनियां काम करेंगी और नए बिजली कनेक्शन देंगी। इसके अलावा मास्टर प्लान 2021 में आने वाले गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योग व गोदामों में भी नए बिजली कनेक्शन मिलेगा। उन जगहों पर भी निवासियों को लाभ मिलेगा, जहां डीडीए ने भूमि अधिकार आवंटित किया है। इसमें जेजे कालोनियों के निवासियों को राहत मिलेगी।

जहां एनओसी जारी की, वहां मिलेगी सुविधा

डीडीए अधिकारियों ने बताया कि डीडीए ने उन सभी जमीनों पर ऐसे कनेक्शन की अनुमति दी है, जहां डीडीए या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी ने पूर्व में एनओसी जारी की है। इसमें वह क्षेत्र भी शामिल है, जहां पर किसी सरकारी एजेंसी द्वारा विकास के लिए योजनाएं को मंजूरी मिली है। अधिकारियों ने बताया कि लैंड पुलिंग अधिनियम 2018 के जारी होने से पहले निगम ने 567 कालोनियों को नियमित किया था। इसमें कुछ कालोनियां लैंड पुलिंग क्षेत्र में भी आ रही थीं। इससे पहले जून 2023 में लैंड पुलिंग के अधीन आने वाले 105 शहरीकृत गांवों के विकास क्षेत्र में कोई नया बिजली कनेक्शन न देने का फैसला लिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि इन क्षेत्रों में डीडीए को नए निर्माण के लिए अधिसूचना जारी करनी थी। अधिकारियों ने बताया कि जून 2023 में लिए गए फैसले में लैंड पुलिंग क्षेत्र में आने वाले लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा और पीएम उदय (प्रधानमंत्री- अनधिकृत कालोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना) कालोनियों को छूट दी गई थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------------ । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। बुधवार, 2 अक्टूबर 2024 -----DATED-----------------------

105 शहरीकृत गांवों को नए बिजली कनेक्शन

LG के निर्देश के बाद ग्रामीणों को राहत, DDA ने दी मंजूरी

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

105 शहरीकृत गांवो के डिवेलपमेंट एरिया मे अब डीडीए ने डिस्कॉम को नए बिजली कनेक्शन देने की मंजूरी दे दी है। इससे लैंड पूलिंग रेगुलेशन, 2018 जारी होने से पहले एमसीडी की तरफ से नियमित की गई कॉलोनियो मे रह रहे भूमिहीन व्यक्तियो को आवंटित भूमि, मास्टर प्लान-2021 मे नॉन कन्फर्मिंग इडस्ट्रियल एरिया में उद्योग और गोदाम और जेजे कॉलोनियों मे रहने वाले लाखो लोगो को बड़ी राहत मिली है। एलजी वी. के. सक्सेना के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है।

डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार एलजी को इस संबंध में सभी सांसदो, विधायको और कई आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियो की अपील मिली थी। इसके बाद एलजी ने इन क्षेत्रो का दौरा भी किया। यहां लोगो ने फिर से यही मांग रखी। अब डीडीए ने उन सभी जमीनो पर ऐसे कनेक्शन देने की मंजूरी दी है, जहां डीडीए या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी ने पूर्व मे एनओसी जारी की गई है या फिर जहां किसी सरकारी एजेंसी की ओर से विकास के लिए योजनाओं को मंजूरी मिली है।

इससे पूर्व जून 2023 में लैंड पूलिंग क्षेत्रों के अंतर्गत 105 शहरीकृत गांवों के डिवेलपमेंट एरिया में कोई भी नया बिजली कनेक्शन न देने का फैसला लिया गया था। इसकी वजह यह थी कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के अनुसार इन क्षेत्रों में डीडीए द्वारा नए निर्माण के लिए अगला नोटिफिकेशन जारी किया जाना था। जून 2023 के इस आदेश में लैंड पूलिंग एरिया के अंदर लाल डोरा, विस्तारिक लाल डोरा और पीएम-उदय कॉलोनियों को छूट दी गई थी।

AI Image

■ इससे पहले जून 2023 में लैंड पूलिंग क्षेत्रों के अंतर्गत नया कनेक्शन न देने का फैसला लिया गया था

■ एलजी को सभी सांसदों, विधायकों और कई आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों की अपील मिली थी

■ इसके बाद एलजी ने इन क्षेत्रों का दौरा भी किया, तब भी यहां लोगों ने फिर से यही मांग रखी

इन्हें मिलेगी राहत

- लैंड पूलिंग रेगुलेशन 2018 की अधिसूचना जारी होने से पहले एमसीडी की नियमित की गई कॉलोनियां
- राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भूमिहीन व्यक्ति को आवंटित भूमि
- मास्टर प्लान-2021 मे अधिसूचित क्षेत्र के रूप मे नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया मे स्थित उद्योग और गोदाम
- सरकारी भूमि/आवंटित भूमि/जेजे कॉलोनियां जिनमे डीडीए ने भूमि अधिकार आदि आवंटित किए है

NBT Lens समझिए खबरों के अंदर की बात: गांवों के लिए क्यों जरूरी है नए कनेक्शन देना?

दिल्ली की नियमित की गई 567 कॉलोनियों, 105 शहरीकृत गांवों के विकास क्षेत्र में अब नए बिजली कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। कई सालो से इन्हें बिजली के नए कनेक्शन नही मिल रहे थे। जिसकी वजह से गांवों में एक तरफ जहा बिजली चोरी की समस्या बढ़ रही थी, वही लोगो को बिजली सब्सीडी का अधिक लाभ भी नही मिल पा रहा था। लोग अपने पुराने कनेक्शनों से ही नए निर्माण मे भी कनेक्शन ले रहे थे। इससे ग्रामीण एरिया में आग की घटनाएं बढ़ रही थी। वही ग्रामीण अपने गोदाम व अन्य जगहों पर इस्तेमाल भी तरीके से नही कर पा रहे थे। उन्हें अपने गोदामों का किराया भी काफी कम मिल रहा था। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी वेयर हाउस आदि में बिजली की कमी की वजह से चोरियों की वारदातें काफी अधिक हो रही थी। लैंड पूलिंग क्षेत्र मे आ रहे भूमिहीन व्यक्तियों को भी अब डिस्कॉम बिजली के नए कनेक्शन देगी। मास्टर प्लान-2021 मे आने वाले नॉन कन्फर्मिंग एरिया मे स्थित उद्योग व गोदाम मे भी नए कनेक्शन मिल सकेंगे।

फैसले से लाखों लोगों को फायदा : सचदेवा

■ प्रस, नई दिल्ली : अनाधिकृत कॉलोनियों मे बिजली के नए कनेक्शन के लिए डीडीए से एनओसी लेने की अनिवार्यता को एलजी ने खत्म कर दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि एनओसी के चलते ही बिजली वितरण कंपनियां मकान बनाने वालों को नया कनेक्शन जारी नहीं कर रही थी। एलजी की इस पहल के बाद अब सभी को बिजली कनेक्शन असानी से मिल सकता है। सचदेवा के अनुसार दिल्ली में एक -सवा साल से बिजली वितरण कंपनियां नए मकान बनाने वालों को बिजली कनेक्शन नहीं दे रही थी। नए फैसले से लाखों लोगों को फायदा होगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 2 अक्टूबर, 2024 --------DATED--------------------

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- हिन्दुस्तान नई दिल्ली, बुधवार, 2 अक्तूबर 2024 --DATED----------

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI WEDNESDAY, OCTOBER 2, 2024 --DATED----------------------

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

VACANCY NOTICE

V.N. No.: 06/2024/PB-I/DDA and V.N. No.: 08/2024/PB-I/DDA

EXTENSION OF LAST DATE OF APPLICATIONS IN RESPECT OF FILLING UP POST OF CHIEF LEGAL ADVISOR IN DDA AND 1 SELECTION POST OF DY. CLA (LEVEL-12 IN THE PAY MATRIX AS PER 7TH CPC) IN DDA ON DEPUTATION BASIS

1. Delhi Development Authority invited applications in the prescribed format from the eligible officers ***dealing with legal affairs/matters under the Central/State Govt./Public Sector Undertakings/Semi-Govt./ Autonomous or Statutory Bodies,*** for filling up the post of Chief Legal Advisor in PB-4 with Grade Pay of Rs. 8700/- (revised to Level-13 in the Pay Matrix as per 7th CPC) on deputation basis in DDA vide vacancy notice **V.N. No -06/2024/PB-I/DDA** dated 10.07.2024 (copy enclosed) and the last date of receiving complete application was **29.07.2024.** The same is now extended to **15.10.2024.**

2. Delhi Development Authority also invited applications in the prescribed format from the eligible officers working in Central Government/ State Government/ Semi-Govt./ Union Territory Administrations/ Statutory Organizations/ Public Sector Undertakings/ Autonomous Bodies for filling up 01 post of Dy. Chief Legal Advisor in PB-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600/-, (Level-12 in the Pay Matrix as per 7th CPC) on deputation basis in DDA vide vacancy notice **V.N. No -08/2024/PB-I/DDA** dated 16.07.2024 (copy enclosed) and the last date of receiving complete application was **27.08.2024.** The same is now extended to **15.10.2024.**

Complete notification containing essential qualification, maximum age and experience etc. along with the format of applications in respect of afore-mentioned posts is available on website of DDA www.dda.gov.in. All other terms and conditions of the afore-mentioned vacancy notices remain same.

Sd/-
Commissioner (Personnel)

Follow us on ddaofficial official_dda official_dda
Please visit our website www.dda.gov.in or Dial Toll free No. 1800110332

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 3 अक्टूबर 2024

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वी.एन. नं.: 06/2024/पीबी–1/डीडीए एवं वी.एन. नं.: 08/2024/पीबी–1/डीडीए

रिक्ति सूचना

डीडीए में प्रतिनियुक्ति आधार पर मुख्य विधि सलाहकार के पद और उप मुख्य विधि सलाहकार (7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल–12) के 1 चयनित पद को भरने के संबंध में आवेदन की अंतिम तिथि में विस्तार

1. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रिक्ति सूचना वी.एन. न. 06/2024/पीबी–1/डीडीए दिनांक 10.07.2024 (प्रति संलग्न) द्वारा डीडीए में प्रतिनियुक्ति आधार पर ग्रेड वेतन रु. 8700/– के साथ पीबी–4 (7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल–13 में संशोधित) में मुख्य विधि सलाहकार के पद को भरने के लिए केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/अर्ध–सरकारी/स्वायत्त या वैधानिक निकायों के तहत कानूनी विषयों/मामलों से निपटने से जुड़े पात्र अधिकारियो से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये गये हैं और इसके लिए पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29.07.2024 थी। अब इसे बढ़ाकर 15.10.2024 तक कर दिया गया है।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रिक्ति सूचना वी.एन. नं. 08/2024/पीबी–1/डीडीए दिनांक 16.07.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से डीडीए में प्रतिनियुक्ति आधार पर ग्रेड वेतन रु. 7600/– के साथ पीबी–3, रु. 15600–39100 (7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल–12 में संशोधित) में उप मुख्य विधि सलाहकार के 01 पद को भरने के लिए केंद्र/राज्य सरकार/अर्ध–सरकारी/केन्द्रशासित प्रशासन/साविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत योग्य अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये गये हैं और इसके लिए पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27.08.2024 थी। अब इसे बढ़ाकर 15.10.2024 तक कर दिया गया है।

उपर्युक्त पदों के संबध में आवेदन के प्रारूप के साथ आवश्यक योग्यता, अधिकतम आयु सीमा और अनुभव आदि की पूरी अधिसूचना डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in पर उपलब्ध है। उपर्युक्त रिक्ति अधिसूचना की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें समान रहेंगी।

हस्ता./–
आयुक्त (कार्मिक)

ddaofficial official dda official dda पर हमे फॉलो करें।
कृपया हमारी वेबसाइट www.dda.gov.in देखें या टाल फ्री नंबर 1800110332 डायल करें।